रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2012/ज्येष्ठ 11, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52
No. 97] DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2012/JYAISTHA 11, 1934 [N.C.T.D. No. 52

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य और कल्याण विभाग

[कार्यालय उप निदेशक (होम्योपैथिक)/निर्वाचन अधिकारी]

बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मैडिसन, दिल्ली चुनाव-2012

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2012

फा. सं. 3(195)/2012-13/डी.आई.एम.एच./होमिआ/संस्थापना/3598.—बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन दिल्ली के चार सदस्यों के चुनाव हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	प्रत्याशी का नाम	आवास का पता	क्लिनिक का पता
1.	डा. आदित्य नारायण कौशिक	ओ-14, परवाना विहार, सैक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली	259, मजलिस पार्क, आर्दश नगर, दिल्ली
2.	डा. देवेन्द्र कुमार भारद्वाज	1/67, सरगंगाराम हास्पिटल रोड, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60	1/67, सर गंगाराम हास्पिटल रोड, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60
3.	डा. केवल कृष्ण जुनेजा	एफ-21, प्रीत विहार, दिल्ली	ब्लाक-15/13, त्रिलोकपुरी, दिल्ली
4.	डा. मिनी मेहता	जी-53, विनस अर्पा. फ्लैट नं. 43, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली	जी-53, विनस अर्पा. फ्लैट नं. 43, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली
5.	डा. राज कुमार सहोटा	ए-64, हौज खास, नई दिल्ली	380, शाहपुर जट, नई दिल्ली
6.	डा. रमेश चन्द अग्रवाल	डब्ल्यू जैड-41ए, मीनाक्षी गार्डन, नई दिल्ली	डब्ल्यू जैड-107, मीनाक्षी गार्डन, नई दिल्ली
7.	डा. सुमन मोहन	एम-25, मार्ग नं. 50, साकेत, नई दिल्ली	एम-25, मार्ग नं. 50, साकेत, नई दिल्ली
8.	डा. विजय पाल सिंह	डी-328, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	डी-328, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92

डा. आर. के. मनचन्दा, उप निदेशक (होम्यो)/निर्वाचन अधिकारी
बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम
ऑफ मेडिसन, दिल्ली चुनाव, 2012

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[OFFICE OF THE DY. DIRECTOR (H)/RETURNING OFFICER]

Election of Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi, 2012

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2012

No. 3(195)/2012-13/DISMH/Homoeo/Estt./3598.—The details of contesting candidates for the election of four members of Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi are as follow :—

Sl.No.	Name of the Contesting Candidate	ADDRESS	
		RESIDENTIAL	CLINICAL
1.	Dr. Aditya Narain Kaushik	O – 14, Parvana Vihar, Sector – 9, Rohini,	259, Majlish Park, Adarsh Nagar, Delhi
2.	Dr. Devendra Kumar Bhardwaj	1/67, Sir Ganga Ram Hospital Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi – 60	1/67, Sir Ganga Ram Hospital Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi – 60
3.	Dr. Kewal Krishan Juneja	F – 21, Preet Vihar, Delhi	15/13, Trilokpuri, Delhi - 91
4.	Dr. Mini Mehta	G – 53, Venus Apartments, Flat No. – 43, Sector – 9, Rohini, Delhi	G – 53, Venus Apartments, Flat No. – 43, Sector – 9, Rohini, Delhi
5.	Dr. Raj Kumar Sahota	A – 64, Hauz Khas, New Delhi	380, Shahpur Jat, New Delhi
6.	Dr. Ramesh Chand Aggarwal	WZ – 41A, Meenakshi Garden, New Delhi	WZ - 107, Meenakshi Garden, PO. Tilak Nagar, N. Delhi
7.	Dr. Suman Mohan	M – 25, Marg No. – 50, Saket, New Delhi	M – 25, Marg No. – 50, Saket, New Delhi
8.	Dr. Vijay Pal Singh	D – 328, Laxmi Nagar, Delhi – 110092	D – 328, Laxmi Nagar, Delhi – 110092

Dr. R. K. MANCHANDA, Dy. Director (H)/ Returning Officer,
Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi Election, 2012

गृह पुलिस-1/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2012

फा. सं. 16/06/2010/गृ.पु.-1/स्थापना/975 से 978.— दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:–

(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली–2012 कहे जायेंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 7 में संशोधन**– दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावाली, 1980 में नियम 7 कॉलम (4) (i) के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

ड्राईविंग लाइसेंसः– पुरूष अभ्यार्थी के पास शारीरिक मापतौल परीक्षा की तिथि को एलएमवी एवं मोटर साइकिल चलाने का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल,
के नाम पर तथा आदेश से,

जे. पी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME POLICE-(I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2012

F. No. 16/06/2010/HP-1/Estt./975 to 978.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rule further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely :—

1. Short title and Commencement

(1) This Rule may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2012

(2) This shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 7

In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in Rule 7, Column (4) (i) the following Rule shall be substituted, namely:-

Driving Licence- " A male candidate must possess a valid driving licence for LMV and Motor Cycle on the date of Physical Endurance & Measurement Tests.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGARWAL, Addl. Secy. (Home)

योजना विभाग

(कैडर नियंत्रक एकक)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2012

फा. सं. 9 (13)/2008/सीसी/योजना/भाग-VI/4304.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उप-राज्यपाल :—

(I) इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकी सहायको के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; तथा

(II) दिनांक 03 अप्रैल 2007 की अधिसूचना संख्या फाईल 9(17)/आर.आर.–एस.ए./2006/सीसी/योजना/2581 के अनुसार अधिसूचित इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक के पद के भर्ती नियम निरस्त करते हैं।

अनुसूची

प्रथम परिशिष्ट

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सांख्यिकी सहायक के पद के भर्ती नियम –

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण संख्या	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिश्ठता या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी सहायक	494*(2012) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	वर्ग "ख" अराजपत्रित अलिपिकीय	ग्रेड पे 4200रू सहित पे बैंड–2 में 9,300–34,800 रू	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताए	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिकयोग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदो का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य – संख्यिकी / प्रकार्यात्मक अनुसंधान / गणितीय सांख्यिकी / अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र / गणित / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि (स्नातकोत्तर / स्नातक स्तर पर सांख्यिकी एक विषय / पेपर के रूप में) नोट : जिन प्रत्याशियों ने सांख्यिकी एक पेपर / विषय के रूप में उत्तीर्ण किया है जिसमें स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर परिमाणत्मक विधि / प्रविधियाँ या लागत एवं सांख्यिकी / मूलभूत सांख्यिकी / व्यवसाय सांख्यिकी / सांख्यिकी आदि का परिचय शमिल है, वे भी पात्र हैं। वांछनीय : कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%

1984 DG/12-2

यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्त / स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
11	12	13
लागू नही	वर्ग "ख" (अराजपत्रित) विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) (i) प्रधान सचिव (योजना), दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** (ii) निदेशक(योजना), दिल्ली सरकार – **सदस्य** (iii) सयुक्त निदेशक(योजना), दिल्ली सरकार – **सदस्य** (iv) अनुसूचित जाति / जन जाति से सम्बन्धित अधिकारी, जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उप सचिव से कम रैंक का न हो – **सदस्य**	लागू नहीं

टिप्पणियां –

1. अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये आयु–सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सामान्य आदेषों के अनुसार शिथिलनीय होंगी।

2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी / होगा। परन्तु दिल्ली सरकार

के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि क्या ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

4. जहां प्रशासक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेंगे।

5. भर्ती नियमों के कॉलम 6 में उल्लिलिखित आयु–सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अडंमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिये अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदो के संबंध में जिनके लिये नियुक्तियां दिल्ली अधीनस्थ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है, आयु–सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तिथि तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से नाम प्रस्तुत करने के लिये आग्रह किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. बी. के. शर्मा, निदेशक (योजना)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2012

F. No. 9(13)/2008/CC/Plg./Pt.-VI/4304.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Contitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

i) make the rules in the schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Statistical Assistants in various offices/departments under this Government; and

ii) cancel the Recruitment Rules for the post of Statistical Assistants/Inspector in various offices/departments under this Government notified vide notification No. F.9(17)/R.R.-S.A./2006-CC/Plg./2581 dated 3rd April, 2007.

SCHEDULE

Annexure-I

Recruitment Rules for the post of Statistical Assistant, Planning Department, Govt. of NCT of Delhi

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Statistical Assistant	494* *(2012) subject to variation dependent on work load	Group "B" Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 9300-34800/- in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4200/-	N.A.	Not exceeding 30 Years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Educational & other qualifications required for direct recruit	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: Post Graduate Degree in Statistics/Operational Research/Mathematical Statistics/Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/Mathematics/ Commerce (with Statistics as one of subject/papers in Post Graduation/Graduation level) **Note:** The candidates who have passed Statistics as one of the papers/subjects including Quantitative Method/ Techniques or Costing & Statistics/ Basic Statistics /Business Statistics/Introduction to Statistics etc. at Graduation/ Post-Graduation level are also eligible. **Desirable:** Working Knowledge of Computers	N.A.	Two Years	100% by Direct Recruitment.

In case of Recruitment by promotion / deputation/absorption grade from which promotion /deputation to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
N.A.	**Group 'B'(Non-Gazetted) DPC (For considering confirmation):** (i) Pr.Secretary (Planning), Govt. of NCT of Delhi - **Chairman** (ii) Director (Planning), Govt. of NCT of Delhi - **Member** (iii) Joint Director (Planning), Govt. of NCT of Delhi - **Member** (iv) An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/ Deputy Secretary in Govt. of NCT of Delhi- **Member**	N.A.

Notes:-

1. The Age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of SC/ST candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Govt.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for SC and ST and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Govt. from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so; exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.
5. The crucial date for determining the age limit mentioned in Column 6 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Island, Lakshadveep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Delhi Subordinate Service Selection Board the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Delhi Subordinate Service Selection Board have asked to submit the names.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. B. K. SHARMA, Director (Plg.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.